न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –65/2018

1. रविन्द्र कुमार पुत्र सुखराम जाति मेघवंशी निवासी परलीका तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. सुखराम पुत्र पोकरराम जाति मेघवंशी निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. सुभाष पुत्र पोकरराम जाति मेघवंशी निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. विनोद पुत्र पोकरराम जाति मेघवंशी निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील रामगढ़ तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 9/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 2 आरएमएस तहसील नोहर में वादी के पड़दादा नथूराम की प0न0 360/413 मु0न0 61 के किला न0 3 की 1 बीघा, 4 की 1 बीघा, 5 की 18 बिस्वा, 7, 8 की 2 बीघा, 13 व 14 की 2 बीघा, 15 की 18 बिस्वा, प0न0 361/413 के मु0न0 62 के किला न0 1 की 18 बिस्वा, 2 की

वादी के पड़दादा की मृत्यु के बाद उक्त वाद भूमि उनके दो पुत्रगण पोकरराम व कुशलाराम पर औद हुई उन्होने अपने जीवन काल में वादग्रस्त भूमि का खाता व लगान अलग करवा लिया और पोकरराम के उक्त भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पोकरराम के नाम दर्ज हुई। पोकरराम की मृत्यु के बाद वाद भूमि अप्रार्थी स0 1 जो की परिवार का मुख्य है ने अपने भाइयों के नाम से वाद ग्रस्त भूमि दर्ज करवा ली जबकि उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का गैरसायल स0 1 के साथ जन्म से हक व हिस्सा है।

वादग्रस्त भूमि गैरसायलान के नाम दर्ज होने का अनुचित फायदा उठाकर अपने हक व हिस्सा की भूमि को फरोख्त करने पर आमाद है। अगर गैरसायलान कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी का अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की [illegible] रोही चक 2 आरएमस तहसील नोहर के खाता सं0 64/59 की कुल 1.[illegible] [illegible] कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:00:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरसायलान स0 1 ता 3 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि की अप्रार्थीगण मौका एवं रिकार्ड की यथास्थित बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही चक 2 आरएमस तहसील नोहर के खाता सं0 64/59 की कुल 1.01 हैक्ट व खाता स0 65/60 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से गैरसायलान स0 1 ता 3 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न ही तो स्वयं उपस्थित न ही उनकी ओर से कोई विधिक पेरोकार राज उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की रोही चक 2 आरएमस तहसील नोहर के खाता सं0 64/59 की कुल 1.01 हैक्ट व खाता स0 65/60 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से गैरसायलान स0 1 ता 3 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि मेरे दादा की मृत्यु के बाद मेरे पिता के नाम दर्ज हुई जबकि वाद भूमि पैतृक होने के कारण मेरा उक्त वाद भूमि में मेरा जन्म से हक हिस्सा है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वह उक्त विवादित भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी आदि का अवलोकन किया गया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक है–

प्रथम दृष्टया माामला– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो की वाद को अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो इसका अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रार्थना पत्र में संलग्न जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित काश्तकार है। वाद भूमि पैतृक होने के कारण प्रार्थी का उक्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है। प्रार्थी को अपने हक व हिस्से की भूमि के उपयोग व उपभोग करने का अधिकार है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य दावा न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। उक्त भूमि में से प्रार्थी को उनका हक हिस्सा दिये बिना रहन, बैय आदि किया जा सकता है। प्रार्थी की अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध कोई रिलिफ नही है क्योंकि प्रार्थी का हक हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में से है न की अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज भूमि में से अतः अप्रार्थी संख्या 1 को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित है परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित नही है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आता प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:00:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्राथी को। प्रार्थना पत्र अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण विवादित अराजी के काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थी का भी वाद भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्राथी का अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को रहनबय की जाती है तो प्रार्थी को असुविधा होगी क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में से प्रार्थी का भी हक व हिस्सा है लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नही है। अतः सुविधा का संतुलन अप्रार्थी संख्या 1 की तुलना में प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ती नुकसानी के रूप में नही कि जा सकती। चुंकी न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति आंशिक साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट आंशिक स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही चक 2 आरएमस तहसील नोहर के खाता सं0 64/59 की कुल 1.01 हैक्ट व खाता स0 65/60 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज वाद भूमि में से से प्रार्थी के हक व हिस्से की हद तक की वाद भूमि को न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक रहन, बैय अथवा मुन्तकिल करने से निषेद्य रहें तथा रोही चक 2 आरएमस तहसील नोहर के खाता सं0 60/59 की कुल 1.01 हैक्ट व खाता स0 65/60 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2018 को अप्रार्थी स0 2 व 3 के विरूद्ध जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाता है। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 9/10/23 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:00:42 IST
Reason: SelfAttested